भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †3806
दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि योजना केन्द्र

†3806. श्री तापिर गावः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन औषधि योजना देश के नागरिकों को अपेक्षित लाभ प्रदान करने में सफल रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश भर में जन औषधि केन्द्र उपलब्ध हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में निकटतम जन औषधि स्टोर का पता लगाने के लिए कौन-सा तंत्र विद्यमान है;
(ङ) क्या देश में जन औषधि केन्द्रों से दवाइयां खरीदने के लिए पहचान पत्र की कोई आवश्यकता होती है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) और (ख): सभी को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.07.2023 तक लगभग 9,668 प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोले गए हैं। इन केंद्रों पर प्रतिदिन औसतन लगभग 10-12 लाख लोग आते हैं। जनऔषधि दवाओं का मूल्य आम तौर पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% - 90% कम होता हैं, जिसके

परिणामस्वरूप विगत नौ वर्षों के दौरान नागरिकों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत हुई है। इसके अतिरिक्त इस योजना ने स्थायी और नियमित धनार्जन के साथ स्वरोजगार का अच्छा स्रोत भी प्रदान किया है।

(ग) और (घ): योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषधि एवं चिकित्सा ब्यूरो (पीएमबीआई) 'जनऔषधि सुगम' नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का संचालन करती है, जिसमें विभिन्न उपयोगकर्ता-अनुकूल विकल्प हैं, जिनमें गूगल मानचित्र के माध्यम से नजदीकी जनऔषधि केंद्रों का पता लगाना, जनऔषधि जेनेरिक दवाओं की खोज करना, एमआरपी और समग्र बचत के संदर्भ में ब्रांडेड दवाओं के साथ जेनेरिक के मूल्यों की तुलना करना आदि शामिल है।

(ड.) और (च): देश में जनऔषधि केंद्रों से दवाएं खरीदने के लिए किसी आईडी कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

*****